

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में पटवारी 5 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 05 अक्टूबर, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी, पटवार मण्डल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आवासीय भूखण्ड का ऑनलाईन म्यूटेशन खोलने व सत्यापित प्रति देने की एवज में राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी, पटवार मण्डल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में एसीबी की उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती डॉ. सोनू शेखावत द्वारा मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री थावरचंद मीणा निवासी 399, नालिया फला बारा, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।